बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग
मुख्यालय, अनुश्रवण

सं०सं०–ल०सिं०मो०–CM-e-dash-06/2020– 1343 (मो०) / *पटना, दिनांक–* 29/6/2020

प्रेषक,

ई० रवीन्द्र कुमार सिंह,
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय), अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,
लघु सिंचाई प्रमण्डल, पूर्णियां।

विषयः–**पूर्णियां जिलान्तर्गत जल–जीवन–हरियाली अभियान के तहत् सरकारी पोखर को अतिक्रमण मुक्त कराने के सम्बन्ध में।**

प्रसंगः–**विभागीय पीत–पत्र के बदले में गै0स0प्रे0सं0–173, दिनांक–28.05.2020**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में **श्री त्रिवेणी मण्डल, पंचायत अध्यक्ष, (जदयू), ग्राम–सपाहा, थाना–टिकापट्टी, प्रखण्ड–रूपौली, जिला–पूर्णिया** द्वारा पूर्णियां जिलान्तर्गत ग्राम–सपाहा कढईधार से सटा उत्तर की ओर सरकारी पोखर को स्थानीय ग्रामीण श्री राजेन्द्र मण्डल उर्फ बैंगों मण्डल से अतिक्रमण मुक्त कराने का अनुरोध किया गया है।

प्रासंगिक पत्र की छाया–प्रति संलग्न करते हुए निदेश दिया जाता है कि पत्र में वर्णित योजना की जांच कर ली जाय। योजना विभाग द्वारा कराये जाने वाली Criteria को पुरा करता हैं तो इसे अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु अंचलाधिकारी मे कार्यालय में Bihar Public Land Encroachment Act के तहत् मुकदमा दायर करें तथा जल–जीवन–हरियाली अभियान के अन्तर्गत क्रियान्वयन हेतु जिला परामर्शदातृ समिति के अनुमोदन हेतु जिला पदाधिकारी को उपलब्ध करा दें।

विश्वासभाजन,
29/6/2020
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय), अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक– 1343 (मो०) / *पटना, दिनांक–* 29/6/2020

प्रतिलिपि–अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई अंचल, पूर्णियां/मुख्य अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/6/2020
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय), अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक– 1343 (मो०) / *पटना, दिनांक–* 29/6/2020

प्रतिलिपि–उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

29/6/2020
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय), अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक– 1343 (मो०) / *पटना, दिनांक–* 29/6/2020

प्रतिलिपि– श्री त्रिवेणी मण्डल, पंचायत अध्यक्ष, (जदयू), ग्राम–सपाहा, थाना–टिकापट्टी, प्रखण्ड–रूपौली, जिला–पूर्णिया को सूचनार्थ प्रेषित।

29/6/2020
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय), अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

D:\AWADH-2020\LETTER-20\JUNE-2020\E.E. PURNEA- J.J.H. ENCROACHMENT-15-06-2020.DOCX

29/6/20

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग
"जल-जीवन-हरियाली" अभियान

15
-06-2020

पीत पत्र के बदले में।

गै०स०प्रे०सं०..173. /पटना,दिनांक- 28 / 05 / 20

मुख्य अभियंता,
योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ

अधीक्षण अभियंता, अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग।

आवेदनकर्त्ता श्री त्रिवेणी मंडल के उक्त आवेदन (CM e-dashboard id no 2020051157) पर नियमानुसार कार्रवाई कर कृपया अवगत कराया जाए।

28/5/20

(गीता सिंह)
उप सचिव
लघु जल संसाधन विभाग

2248 (मो०)
03-06-2020

लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना

22 MAY 2020

(प्रधान सचिव कोषांग)

बिहार सरकार
मुख्यमंत्री सचिवालय

पत्रांक – **5700821** / मु0मं0स0, पटना, दिनांक – **20.05.2020**

प्रेषक :

उप सचिव,
मुख्यमंत्री सचिवालय,
बिहार, पटना।

सेवा में :

सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :– माननीय मुख्यमंत्री को प्राप्त आवेदन पत्रों का अग्रसारण।

महाशय,

निदेशानुसार माननीय मुख्यमंत्री को प्राप्त आवेदन पत्र इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है। प्राप्त आवेदन पत्र वेवसाइट www.dashboard.bihar.gov.in पर उपलब्ध है। अनुरोध है कि नियमानुकुल आवश्यक कार्रवाई उपरान्त कृत कार्रवाई संबंधित प्रतिवेदन वेवसाईट पर अपलोड करते हुए आवेदक को भी सूचित करने की कृपा की जाय ।

अनुलग्नक–यथा निम्नवत्।

विश्वासभाजन,

(मनोज कुमार)
उप सचिव।

क्रमांक	आवेदक का नाम	संदर्भ संख्या (MMPDA)
1.	श्री त्रिवेणी मंडल	2020051157

जिला प्रशासन
लोक शिकायत

प्रधान (...) 101

Government of Bihar
Chief Minister Secretariat
Date-22/02/2020
2020051157
http://cmsonline.bihar.gov.in

सेवा में
श्रीमान् मुख्यमंत्री महोदय बिहार

विषय:- जलजीवन हरियाली के तहत सरकारी पोखर को अतिक्रमण मुक्त कराने के संबंध में.

महाशय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में सादर कहना है कि सपाहा कदईधार से सटा उत्तर की ओर एक सरकारी पोखर है जिस पर पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से वृक्षारोपण एवं पानी संरक्षण हेतु पोखर का जीर्णोधार के लिए ग्राम पंचायत की आम सभा की बैठक 2 अक्टूबर 2012 ई० में प्रस्ताव में लिया गया है।

लेकिन जब से सरकारी पोखर का जीर्णोधार ग्राम पंचायत के आम सभा में लिया गया तब से सपाहा गाँव के ही राजेन्द्र मंडल उर्फ बैंगो मंडल के द्वारा सरकारी पोखर के बाँध एवं डैनेज को कुदाल से काट-काट कर अपने खेत मे मिला लिया है ग्रामीण के द्वारा रोकने पर राजेन्द्र मंडल उर्फ बैंगो मंडल के द्वारा गाली, गल्लौज एवं मारपीट करने लगता है इससे ग्रामीण मे आक्रोश है इसकी शिकायत 2012 ई० मे अंचलाधिकारी सपौली को दिया गया था लेकिन कोई भी कार्यवाही नही हुई।

पुनः 2020 ई० मे सपौली अंचलाधिकारी को ग्रामीण के द्वारा लिखित आवेदन दिया एवम् जिला पदाधिकारी महोदय को भी आवेदन दिया गया जिसका रिसीव इस आवेदन में संलग्न है अंचलाधिकारी सपौली के द्वारा हल्का कर्मचारी सर्वेक्षण के दौरान मापी भी हुई जिसमे हल्का कर्मचारी के रिपोर्ट के अनुसार सरकारी पोखर हकीकत मे है लेकिन अभी तक सरकारी पोखर अतिक्रमण मुक्त नही हुआ है

अतः श्रीमान से सादर प्रार्थना है कि इस मामले को गंभीरता से देखते हुए सार्वजनिक हितो में सरकारी पोखर को जलजीवन हरियाली के तहत अतिक्रमण मुक्त कराने की कृपा करें इसके लिए कोपली सिमरा पश्चिम पंचायत की जनता आभारी बने रहेंगे।

जमीन का विवरण:- खाता नं० 1099 खेसरा नं० 281 रकबा 1.70 डी.

P.T.O.

विश्वास भाजन

कोयली सिमड़ा पश्चिम की
समस्त जनता
स्थान - सपाहा
थाना - टिकापट्टी
प्रखंड - रूपौली
जिला - पूर्णियाँ

त्रिवेणी मंडल
पंचायत अध्यक्ष (जदयू)
8084004770

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम
(पावती)

शिकायत का निवारण हो गया आसान

अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय,अनुमंडल :-धमदाहा, जिला :- पूर्णिया

अनन्य पंजीयन संख्या **509210105022002704** परिवाद प्राप्ति की तिथि : **05/02/2020**

परिवादी का नाम	**सचिदानंद मंडल एवं अन्य**
परिवाद के साथ संलग्न दस्तावेजों की संख्या	**1**
परिवाद की सुनवाई और निवारण की नियत तिथि	**02/03/2020 11 AM**

कोई अन्य विशिष्टियां जिसे लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा उल्लेख किया जाना आवश्यक समझा जाये

सुनवाई की तिथि को अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य (यदि कोई हो) के साथ उपस्थित हों|

सुनवाई का स्थान -: **अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय,अनुमंडल :-धमदाहा, जिला :- पूर्णिया**

सुनवाई की तिथि -: **02/03/2020**

परिवाद के प्राप्तिकर्ता का हस्ताक्षर
नाम एवं पदनाम मोहर सहित

परिवाद दायर करने एवं परिवाद की स्थिति जानने के लिए कॉल करें 1800 3456 284 (टोल फ्री नं.) |

(19)

सेवा में

श्रीमान अंचल अधिकारी

रुपौली

विषय:- जिला पदाधिकारी पूर्णियाँ का पत्रांक-105 दिनांक-03.02 अवैध पोखर अतिक्रमण के संबंध में जाँच प्रतिवेदन।

अंचल कार्यालय ज्ञापांक- 30/10.1.20

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सादर सूचित करना है कि आवेदक गण सच्चिदानंद मंडल इत्यादी ग्राम-सपाहा थाना टिकापट्टी अंचल रुपौली जिला पूर्णियाँ के द्वारा दिए गए आवेदन सरकारी पोखर को अतिक्रमण हेतु।

प्रभारी भूमि R.S. खतियान से मिलान किया। मिलान करने पर पाया कि मौजा कोयली सिमड़ा थाना नं०- 281 खाता- 1099 खेसरा- 281 रकबा- 1.70 डी० [illegible] पिता- शिव प्र० [illegible] किस्म में पोखर दर्ज है। बिहार सरकार अतिक्रमण अधिनियम गजट पत्र 2160 दिनांक- 12.07.1982 है। परन्तु उक्त खेसरा सं० 281 जिला पंजी नहीं किया गया है।

2. स्थानीय जाँच किया पाया कि वर्षों से उत्तर की ओर पोखर को राजेन्द्र मंडल उर्फ [illegible] मंडल पिता [illegible] मंडल के द्वारा अपने खेत में मिलाकर समतल भूमि बनाकर मक्के फसल लगाया गया है। एवं उक्त पोखर में उत्तर तरफ [illegible] का घर एवं मवेशी पुआल है।

अतः आप मान को जाँच प्रतिवेदन

समर्पित

विश्वासभाजन

राजस्व कर्मचारी

(180)

समाहरणालय, पूर्णियाँ
जिला पारगमन शाखा

07.02.20

सेवा में,

श्रीमान् जिला पदाधिकारी महोदय

पूर्णियां।

विषय: पूर्व आवेदन के आलोक में सरकारी पोखर को अतिक्रमण मुक्त के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सादर कहना है कि हमारा [illegible] से सटा हुआ उत्तर की ओर एक सरकारी पोखर है, जिस पर पर्यावरण संरक्षण के दृष्टि से वृक्षारोपण कार्य एवं पानी संरक्षण हेतु पोखर का जीर्णोद्धार के लिए ग्राम पंचायत के ग्राम सभा दिनांक -07- अक्टूबर- 2019 ई० में प्रस्ताव में लिया गया है।

जब से पोखर के जीर्णोद्धार का प्रस्ताव ग्राम पंचायत की ग्राम सभा में लिया गया है। तब से राजेन्द्र मंडल एवं बेनी मंडल पिता-श्री कारु मंडल, ग्राम-[illegible] थाना-टीकापट्टी जिला-पूर्णियां के द्वारा सरकारी पोखर के बांध एवं मेढ़ को कुदाल से काट-काट कर अपने खेत में मिला लिया है। एवं खेती कर रहे है। इसमें ग्रामीण ने कई बार रोकने की कोशिश की लेकिन राजेन्द्र मंडल एवं बेनी मंडल के द्वारा मार-पीट एवं गाली-गलौज करते हैं, जिससे ग्रामीण में आक्रोश है। किसी भी समय अप्रिय घटना घट सकती है।

साथ ही स्थानीय अंचल अधिकारी महोदय के द्वारा एवं हल्का कर्मचारी के जांच के उपरान्त उस पोखर की मापी भी हुई, लेकिन अभी तक सरकारी पोखर को अतिक्रमण मुक्त नहीं हुआ है।

अतः श्रीमान से सादर प्रार्थना है कि मामले में गंभीरता से लेते हुए ग्रामीण की हितों में सरकारी पोखर एवं छैला को अतिक्रमण से मुक्त कराने की कृपा की जाय।

इसके लिये श्रीमान् का सदा आभारी बने रहेंगे।

दिनांक- ..

-विश्वासभाजन-

सच्चिदानन्द बेला

9327105503

-जमीन का विवरण-

खाता नं-	खेसरा नं-	रकबा
1099	281	1·70डी0

सेवा में,
श्रीमान् अंचलाधिकारी
अंचल रुपौली पूर्णियाँ।

विषय:— सरकारी पोखर एवं ड्रैनेज को जबर्दस्ती कुदाल से काट काट कर जोत की जमीन बनाने के सम्बन्ध में।

महाशय,
उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सादर कहना है कि सपाहा कदईधार से सटा हुआ, उत्तर की ओर एक सरकारी पोखर है जिस पर पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से वृक्षारोपण कार्यक्रम एवं पानी संरक्षण हेतु पोखर के जीर्णोद्धार के लिए ग्राम पंचायत की आम सभा की बैठक 2 अक्टूबर 2012 में प्रस्ताव भी लिया गया है।

जब से पोखर के जीर्णोद्धार का प्रस्ताव ग्राम पंचायत की आम सभा बैठक में लिया गया है तब से राजेन्द्र मंडल उर्फ बैंगो मंडल पिता श्री [illegible] मंडल ग्राम-सपाहा, थाना-टीकापट्टी, प्रखण्ड रुपौली, जिला-पूर्णिया के द्वारा पोखर के बाँध को एवं ड्रैनेज को कुदाल से काट-काट कर अपने खेत में मिला रहा है। साथ ही कोढ़िया और सपाहा को जोड़ने वाली सड़क को भी काट-काट कर अवरुद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है। जिस जगह पर कदईधार में आर.सी.सी. पुल बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

ग्रामीणों के द्वारा मना करने के बावजूद पोखर एवं ड्रैनेज के बाँध को ध्वस्त कर खेती का कार्य भी प्रारम्भ कर दिया है जिससे आम लोगों के मवेशियों को चरने व चराने में एवं जल निकासी में भारी कठिनाई हो गई है। ग्रामीणों के मना करने पर अपशब्द गाली गलौज एवं मार-पीट करने पर उतारू हो जाता है। जिससे आम लोगों में आक्रोश व्याप्त है। इस मामले को लेकर किसी भी समय बड़ी अप्रिय घटना घट सकती है।

अतः श्रीमान से सादर निवेदन है कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सार्वजनिक हित में पोखर एवं ड्रैनेज को सुरक्षित कर, अतिक्रमण से मुक्त कराने की महती कृपा की जाय।

खाता 1097 खेसरा 22 रकबा 1.70 डि०

प्रतिलिपि:—
(1) भूमि सुधार उप समाहर्ता पूर्णिया।
(2) जिला पदाधिकारी पूर्णिया।
(3) [illegible] पूर्णिया।
(4) [illegible]
(5) थाना प्रभारी टीकापट्टी।

विश्वास भाजन
पंचायत के ग्रामीण जनता
कोयली सिमड़ा पंचायत
स्थान – सपाहा

1. चुन्नो चौधरी
2. रूपेश कुमार
3. बादल कुमार
4. [illegible] कुमार
5. कुन्दन कुमार

[illegible] प्रतिलिपि
[illegible] 1/10/12

157

(6) रूहल चौधरी
(7) विजय प्र० चौधरी
आशीष कुमार
किशन मंडल
पंकज मंडल
[illegible] मंडल
(12) सुमन मंडल
आनंद कुमार
(14) अमित कुमार
(15) सही नि० विरेन्द्र चौधरी

सही नि० विजय यादव

(17) सही नि० शंभू चौधरी

[illegible] मंडल
(19) [illegible] कुमार
(20) अशोक कुमार यादव
(21) सन्तोष कुमार यादव
(22) [illegible] कुमार सिंह
(23) प्रेमचंद यादव
(24) Mmm
(25) मलखान यादव
(26) राजू चौधरी
(27) रोणी चौधरी
(28) सुरेश चौधरी
सही नि० बुद्धन चौधरी

प्रमोद चौधरी
सही नि० महेश मंडल
[illegible]

विनोद मंडल

राकेश कुमार [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

भोला मंडल

जय [illegible]

[illegible]

[illegible]

जनार्दन [illegible]

[illegible]

वासुदेव दास

[illegible] मंडल

[illegible] ठाकुर

शिवराम हरिजन

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] कुमार

[illegible] ठाकुर

नागेश्वर मंडल

दयानंद मंडल